



**जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07-02-21**

**थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा नशीला पाउडर बेचने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 130 ग्राम नशीला पाउडर बरामद**

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दि0-06/02/2021 मकनपुर गेट के पास चोकी क्षेत्र अभय खण्ड से नशीले पाउडर को बेचने वाला अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र महेश शाह नि0 कान्ती वाली गली मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गा0बाद को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 130 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद।

**अपराध करने का तरीका-** अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सस्ते दाम पर नशीला पाउडर खरीदकर उंचे दामो पर नशा करने वाले लोगों को बेच देता था।

**बरामदगी का विवरण-**

**130 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम**

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :**

सुमित कुमार पुत्र महेश शाह नि0 कान्ती वाली गली मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0160/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना इन्दिरापुरम गा0बाद



**थाना कविनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 07.02.2021 को थाना सिहानीगेट के मु0अ0सं0 0887/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त **आशीष पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी किराये का मकान करन ट्रांसपोर्ट वालो का हरवंश नगर एल जी शो-रूम वाली गली थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद** को चैकिंग के दौरान लाल कुँआ पुल के नीचे से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए है।

**अपराध कारित करने का तरीका**

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने साथियो के साथ मिलकर अवैध अस्लाहो के बल पर लूट/चोरी जैसे जघन्य अपराधो को अंजाम दिया है तथा गैंग बनाकर अवैध धन अर्जित किया है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

आशीष पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी किराये का मकान करन ट्रांसपोर्ट वालो का हरवंश नगर एलजी शोरूम वाली गली थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद

### अभियुक्त का आपाराधिक इतिहास

- 1 मु0अ0सं0 2452/18 धारा 380/411 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।
- 2 मु0अ0सं0 47/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।
- 3 मु0अ0सं0 57/2019 धारा 411/414 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।
- 4 मु0अ0सं0 153/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
- 5 मु0अ0सं0 887/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानीगेट गाजियाबाद ।



### थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मोबाइल लूटने व चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये दो मोबाइल बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दि0-06/02/2021 को एनएच-24 मॉडल टाउन चौकी क्षेत्र शिप्रासन से 02 शातिर अभियुक्त 1-दिलशाद पुत्र नईम नि0 सफेद मन्दिर के पास छिजारसी से0-63, गौतमबुद्धनगर 2 आमीर उर्फ चुग्गी पुत्र गुड्डु नि0 फल सब्जी मण्डी के पीछे सै0 63 गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल ऑनर व ऑपो कम्पनी के एवं 02 अदद चाकू नाजायज बरामद किये गये है। बरामदशुदा मोबाइल ऑनर कम्पनी मु0अ0सं0 159/2021 धारा 392 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद से सम्बन्धित है।

### अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम भीड़ वाले स्थानों पर राहगीरों से मोबाइल लूट/चोरी करके सस्ते दाम पर बेच देते थे।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

- 1-दिलशाद पुत्र नईम नि0 सफेद मन्दिर के पास छिजारसी से0-63 गौतमबुद्धनगर
- 2-आमीर उर्फ चुग्गी पुत्र गुड्डु नि0- फल सब्जी मण्डी के पीछे सै0 63 गौतमबुद्ध नगर

### बरामदगी

1. 01 मोबाइल ऑनर कम्पनी
2. 01 मोबाइल ऑपो कम्पनी का
3. 02 अदद चाकू नाजायज

### अपराधिक इतिहास-

**दिलशाद पुत्र नईम नि0 सफेद मन्दिर के पास छिजारसी से0-63 गौतमबुद्धनगर**

- 1 मु0अ0सं0 159/2021 धारा 392 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद
- 2 मु0अ0सं0 161/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद
- 3 मु0अ0सं0 162/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इंदिरापुरम गा0बाद

**आमीर उर्फ चुग्गी पुत्र गुड्डु नि0- फल सब्जी मण्डी के पीछे सै0 63 गौतमबुद्ध नगर**

- 1 मु0अ0सं0 159/2021 धारा 392 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद
- 2 मु0अ0सं0 161/2021 धारा 411/414/34 भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद
- 3 मु0अ0सं0 163/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इंदिरापुरम गा0बाद

4 मु0अ0सं0 601/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सैक्टर 58 नोएडा



### **थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीया महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.02.2021 को मैक्स अस्पताल के पास से चोरी की योजना बनाते हुए दो अभियुक्तों 1. शनि वर्मा पुत्र सतीश वर्मा निवासी वी-372 गली न0 6/7 मौजपुर गोण्डा थाना जाफराबाद दिल्ली 2. धीरज पुत्र मनोज प्रजातप नि0 गांव अन्नतराम सौनासी थाना सौलासी जिला इटावा, हालपता किराये का मकान, गली न0 6 चौथा खजूरी पुस्ता रोड, गौतमबिहार चौक थाना उस्मानपुर दिल्ली को मय 02 अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **अपराध कारित करने का तरीका-**

अभियुक्तों द्वारा NCR क्षेत्र में रैकी कर चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देकर, अवैध धन अर्जित किया जाता है ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

1. शनि वर्मा पुत्र सतीश वर्मा निवासी वी-372 गली न0 6/7 मौजपुर गोण्डा थाना जाफराबाद दिल्ली
2. धीरज पुत्र मनोज प्रजातप निवासी गांव अन्नतराम सौनासी PS सौलासी जिला इटावा, हालपता किराये का मकान, गली न0 6 चौथा खजूरी पुस्ता रोड, गौतमबिहार चौक थाना उस्मानपुर दिल्ली

### **बरामदगी**

02 चाकू नाजायज

### **आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 76/2021 धारा 401 भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद बनाम शनि वर्मा व धीरज उपरोक्त ।
2. मु0अ0सं0 77/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद बनाम शनि वर्मा उपरोक्त ।
3. मु0अ0सं0 77/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद बनाम धीरज उपरोक्त ।



### **थाना निवाडी पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त मय 76 पच्चे सहित गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग अवैध मादक पदार्थ की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी

निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार, है०का० 733 रणवीर सिंह, का० 1105 श्यामकरण द्वारा दिनांक 07.02.2021 को समय 11.30 बजे ग्राम शेरपुर भट्टे से करीब 100 कदम मोदीनगर की ओर से अभियुक्त .1.राजकुमार पुत्र रिशाल व .2.मनोज उर्फ बबबल पुत्र आत्माराम निवासीगण ग्राम शेरपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को दो प्लास्टिक के कट्टों में कुल 76 पक्वे बैस्टो व्हिस्कि हरियाणा मार्का अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 31/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम राजकुमार तथा मु०अ०सं० 32/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम मनोज उर्फ बबबल पंजीकृत किया गया।

**अपराध करने का तरीका:-**

अभियुक्तगण द्वारा अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करना।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. राजकुमार पुत्र रिशाल नि० ग्राम शेरपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
2. मनोज उर्फ बबबल पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम शेरपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण:-**

- 1-दो प्लास्टिक के कट्टों में कुल 76 पक्वे बैस्टो व्हिस्कि हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद होना।

**अपराधिक इतिहास का विवरण:-**

- 1- मु०अ०सं० 31/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम राजकुमार थाना निवाडी जनपद गा०बाद
- 2- मु०अ०सं० 32/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम मनोज उर्फ बबबल थाना निवाडी जनपद गा०बाद



### **थाना विजयनगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक मय टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 07.02.21 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त संदीप पुत्र जयनारायण निवासी बहरामपुर थाना विजयनगर, गाजियाबाद को 130 ग्राम नशीला पाऊंडर (एल्प्राजोलम), 06 टेबलेट नशीली एल्प्राजोलम मय एक अदद छुरी नाजायज के साथ टीएण्डटी चौक के पास, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

संदीप पुत्र जयनारायण निवासी गली न०1 बहरामपुर, थाना विजयनगर गाजियाबाद

**पंजीकृत अभियोग का विवरण\***

- 1- मु.अ.स. 114/21 धारा 8/22 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम संदीप
- 2- मु.अ.स. 115/21 धारा 4/25 Arms Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम संदीप

**बरामदगी**

1. 130 ग्राम नशीला पाऊंडर (एल्प्राजोलम)
2. 06 टेबलेट नशीली एल्प्राजोलम
3. एक अदद छुरी



**पैसे दुगुने करने के लालच देकर लोगो से पैसे उगने वाले अभियुक्त को #आपरेशन420गाजियाबाद  
#Operation420Gzb के तहत थाना मधुवनबापू धाम पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही:** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के प्रवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुवन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा लोगो को तीन माह में रूपया दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त नवनीत सांगवान पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सांगवान निवासी सी- 461 सैनिक बिहार कंकरखेड़ा थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ हाल पता फ्लैट न0 408 चतुर्थ तल मेरठ बाईपास मोदीपुरम थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0स0 1524/2020 धारा 420/406/506 आई0पी0सी थाना कविनगर जनपद में वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अपराध करने का तरीका**

अभियुक्त लोगो को तीन माह में रूपया दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा हड़पकर, माँगने पर उनको जान माल की धमकी देता था।

**नाम पता अभियुक्त –** नवनीत सांगवान पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सांगवान निवासी सी-461 सैनिक बिहार कंकर खेड़ा थाना कंकर खेड़ा जनपद मेरठ **हाल पता** फ्लैट न0 408 चतुर्थ तल मेरठ बाईपास मोदीपुरम थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ



**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से नाजायज 112 पक्वे देशी शराब हरियाणा  
मार्का नाजायज बरामद**

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 06-02-21 को भागमल वाटिका वाले रास्ते पर से समय 21.30 बजे अभियुक्त करन उर्फ पंजाबी पुतिर चतरू निवासी शिव विहार तालाब के पास मीना के मकान में किरायेदार ट्रोनिका सिटी गा0बाद को 112 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज शराब के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर अ0सं0 60/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामो पर बेचकर अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूँ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -**

1. अभियुक्त करन उर्फ पंजाबी पुतिर चतरू निवासी शिव विहार तालाब के पास मीना के मकान में किरायेदार ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 40 वर्ष

अ0सं0 60/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

**बरामदगी का विवरण -** 112 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज शराब



## **थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 84 पक्के देशी शराब हरियाणा प्रदेश मार्का बरामद ।**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 07.02.2021 को समय करीब 14.10 बजे तिकोना पार्क बंगाली कालोनी के गेट से 02 अभियुक्त 1. रोहित पुत्र संजय नि0 ई-43ए/704 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली। व अभियुक्त 02 समीर पुत्र नसीर नि0 80 फुटा रोड ई-43 गली नं0 3 नई सीमापुरी दिल्ली को 84 अदद पक्के देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ बिक्री करते समय गिरफ्तार किया गया है।

### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध हरियाणा मार्का शराब को सस्ते दामों में खरीदकर नशे के आदि लोगों को महंगे दामों में शालीमार गार्डन व आसपस के क्षेत्र में बिक्री करते हैं।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. रोहित पुत्र संजय नि0 ई-43ए/704 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली।
2. समीर पुत्र नसीर नि0 80 फुटा रोड ई-43 गली नं0 3 नई सीमापुरी दिल्ली।

### **पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

- 1- मु0अ0सं0 178/2021 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम रोहित।
- 2- मु0अ0सं0 179/2021 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम समीर।

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. 84 अदद पक्के अवैध शराब हरियाणा प्रदेश मार्का

